संख्या:सा–3–1671 / दस–2010–301(09) / 2003 टीसी

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 16 सितम्बर, 201

विषय :– अधिसूचना संख्या–सा–3–379 / दस–2005–301(9) / 2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त(सामान्य)अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–सा–3–379 / दस–2005–301(9) / 2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है।

2– वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने संबंधी संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुके थे तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा / संवर्ग में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना, जो दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व लागू थी, से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग–पत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

—2/—